बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं./82/2017– 274

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
पटना

पटना 14, दिनांक– 16/03/2020

विषय – गया जिलान्तर्गत ढुंगेश्वरी पर्वत पर रज्जू पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.64 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/21665/2016/3568 दिनांक 07.11.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 796 दिनांक 11.11.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/21665/2016/3568 दिनांक 07.11.2019 द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 796 दिनांक 11.11.2019 द्वारा **NPV एवं CA मद की कुल राशि रू० 42,70,953/– (रूपये बियालीस लाख सत्तर हजार नौ सौ तिरपन) मात्र को कैम्पा लेखा में जमा कराने का अनुरोध किया गया था। तद्संबंधी अनुपालन अप्राप्त है।**

2. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल गया के पत्रांक 1372 दिनांक 13.03.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा पूर्व में तैयार किये गये क्षतिपूरक वनीकरण प्राक्कलन में कुछ त्रुटियाँ पाई गयी है जिसे संशोधित कर भेजी गयी है। संशोधित प्राक्कलन इस पत्र के साथ संलग्न है।

3. उक्त के आलोक में निर्धारित मानक एवं वर्तमान मजदूरी दर रू० 277/– प्रति मानव दिवस पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 21,23,320/– (रूपये इक्कीस लाख तेईस हजार तीन सौ बीस) मात्र का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया के द्वारा तैयार किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

4. परियोजना निर्माण के क्रम में 0.64 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 6.26 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 4,00,640/– (रूपये चार लाख छः सौ चालीस) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग को उपलब्ध कराएगी।

5. उपर्युक्त **NPV एवं CA मद की कुल राशि रू० 25,23,960/– (रूपये पच्चीस लाख तेईस हजार नौ सौ साठ) मात्र को मंत्रालय के वेव–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।**

6. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लिखित कंडिका 1 से 16 में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./82/2017–274 दिनांक– 16/03/2020

प्रतिलिपि– वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया/वन संरक्षक गया अंचल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./82/2017–274 दिनांक– 16/03/2020

प्रतिलिपि– मुख्य अभियन्ता, बिहार स्टेट टूरिज्म डेबलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना/ वरीय परियोजना अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, गया को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।